

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 413] नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 24, 1983/कार्तिक 2, 1905
No. 413] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 24, 1983/KARTIKA 2, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

साथ और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 1983

सा. का. नि. 799 (अ) :—भारत का वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक, वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1947 के खण्ड 4 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रस्तावित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वनस्पति तेल उत्पाद (क्वालिटी के मानक) आदेश, 1975 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करता है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम वनस्पति तेल उत्पाद (क्वालिटी के मानक) संशोधन आदेश, 1983 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. बनस्पति तेल उत्पाद (क्वालिटी के मानक) अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची की पैरा 2 में खण्ड 1 के उपखण्ड (क), पामोलीन से संबंधित प्रविष्टि को उगकी “(12)” के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित प्रविष्टि “(12)” के पश्चात् किन्तु स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(13) 10 प्रतिशत से अधिक साल के बीजों का तेल” ।

[संख्या 9-वीपी (1)/82]

टी. आर. परमेश्वरन्, बनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

ORDER

New Delhi, the 24th October, 1983

G.S.R. 799(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of clause 4 of the Vegetables Oil Products Control Order, 1947, the Vegetable Oil Products Controller for India hereby makes the following Order further to amend the Vegetable Oil Products (Standards of Quality) Order, 1975, namely :—

1. (1) This Order may be called the Vegetable Oil Products (Standards of Quality) Second Amendment Order, 1983.

(2) It shall come into force at once.

2. In the First Schedule to the Vegetable Oil Products (Standards of Quality) Order, 1975, the paragraph 2, in sub-clause (a) of clause (1), entry relating to Palmolein, shall be numbered as “(xii)” thereof and after the entry “(xii)” so as numbered but before the Explanation, the following entry shall be inserted, namely :—

“(xiii) Salseed oil not exceeding 10 per cent”.

[No. 9-VP(1)|82]

T. R. PARAMESWARAN,

Vegetable Oil Products Controller for India